

दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या /
होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची
काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन
सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत.....

महाराष्ट्र शासन

वित्त विभाग

शासन परिपत्रक, क्रमांक: वेतन-२०२३/प्र.क्र.१३/सेवा-३

खो.क्र.३३३ (विस्तार), तिसरा मजला, मंत्रालय,

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२.

दिनांक : २८ जून, २०२३.

वाचा-

- १) याचिका क्रमांक १५७३२/२०१७ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मद्रास यांनी दि.१५.०९.२०१७ रोजी दिलेले आदेश.
- २) विशेष अनुमती याचिका (Civil) डायरी क्रमांक २२२८३/२०१८ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२३.०७.२०१८ रोजी दिलेले आदेश.
- ३) केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाचे क्रमांक:ए-२३०११/३६/२०१३-एडी-दोन-ए, दि. १८ ऑक्टोबर, २०१९ रोजीचे पत्र
- ४) केंद्र शासनाच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व सेवानिवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे क्रमांक:एफ-नं.-१९/२/२०१८-ईएसटीटी (पे-१), दि.०३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी कार्यालयीन आदेश
- ५) केंद्र शासनाच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व सेवानिवृत्तीवेतन मंत्रालयाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे क्रमांक:एफ-नं.-१४५३५४५/२०२१-ईएसटीटी (पे-१), दि. २४ जून, २०२१ चे कार्यालयीन आदेश
- ६) केंद्र शासनाच्या गृह विभागाचे क्रमांक:१६०११/०९/२०२१-आयपीएस.दोन, दि.०१ जुलै, २०२१ रोजीचे पत्र
- ६) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ४७२२/२०२१ मध्ये दि.०५.०४.२०२१ रोजी दिलेले आदेश.
- ७) मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक १७६०१/२०२१ मध्ये दि.२३.१२.२०२१ रोजी दिलेले आदेश
- ८) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक १२१९०/२०२२ मध्ये दि.०१.०८.२०२२ रोजी दिलेले आदेश
- ९) मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये मध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी दिलेले आदेश
- १०) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ६१८५/२०२० (सिव्हील अपिल क्रमांक २४७१/२०२३) मध्ये दि.११.०४.२०२३ रोजी दिलेले आदेश
- ११) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ४७२२/२०२१ मध्ये दि.१९.०५.२०२३ रोजी दिलेले आदेश

प्रस्तावना -

दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विविध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने संबंधित कार्यालयास अथवा संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्राप्त होत आहेत. तसेच त्या अनुषंगाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व मा. उच्च न्यायालयात न्यायालयीन

प्रकरणे दाखल होत आहेत. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये मध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना सर्व संबंधितांच्या, विविध विभागांच्या / कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक :

केंद्र शासनामध्ये सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्क खात्यामध्ये (Customs & Excise Department) अतिरिक्त महासंचालक या पदावर कार्यरत असतांना दि.३०.०६.२०१३ रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले श्री. पी. अय्यमपेरुमल या अधिकाऱ्यास दि.०१.०४.२०१३ रोजीची वार्षिक वेतनवाढ फक्त निवृत्तीवेतनविषयक लाभासाठी अनुज्ञेय करावी असे आदेश मा. उच्च न्यायालय, मद्रास यांनी याचिका क्रमांक १५७३२/२०१७ मध्ये दि.१५.०९.२०१७ रोजी पारित केले आहेत. मा.उच्च न्यायालयाचे उपरोक्त दि.१५.०९.२०१७ रोजीचे आदेश विशेष अनुमती याचिका (Civil) डायरी क्रमांक २२२८३/२०१८ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२३.०७.२०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे कायम केले.

२. उपरोक्त नमूद आदेशाचा आधार घेऊन अनेक याचिकाकर्त्यांनी मा. उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत-

“We, therefore, find it appropriate to order as under :-

[a] We direct the Chief Secretary of the State of Maharashtra and Principal Secretary (Finance Department), State of Maharashtra, to issue appropriate directions to all the concerned departments to appeal to such candidates, who fall in such category having retired on 30th June of the particular years and who have earned the annual increment on account of performing work for 12 months ending on 30th June, to tender their applications to the concerned Authorities.

[b] After such applications are received, the concerned authorities would grant the reliefs as are being granted by the various High Courts by restricting the arrears of payments to 3 years preceding the dates of the applications or preceding the date of actual retirement as per actuals, whichever is less. With these guidelines, the concerned authorities shall not reject a single application if it fits into the parameters of the judgments delivered by this Court.

[c] In the alternative, let the concerned authorities suo-moto dig out such cases and after scrutinizing the same as regards their entitlement, proceed to grant the benefits as per the judgments of this court, within 120 days.

[d] While undertaking the above exercise, the gratuity/pay fixation/pension will be re-calculated, so as to be paid to the candidates with arrears as directed above."

मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेले उपरोक्त आदेश विचारात घेऊन सर्व विभागांना खालीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे.

जे राज्य शासकीय कर्मचारी दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत व ज्यांनी मागील १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दि.०१ जुलै रोजीची काल्पनिक (Notional) वेतनावढा विचारात घेऊन, त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे अर्ज करण्याबाबत सर्व संबंधित सेवानिवृत्तांना आवाहन करण्याबाबत, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील विभागप्रमुखांना कळवावे.

त्यानंतर याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित कार्यालयांनी वर नमूद केलेल्या मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त आदेशात नमूद केल्यानुसार संबंधितांना सुधारीत सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत. तसेच सदर लाभ सुधारीत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक या पैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी देण्यात यावी. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये.

तसेच संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे अशा प्रकरणांचा त्यांच्या स्तरावरच तपासणी करून निपटारा करावा.

उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी त्यांच्या दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये नमूद केले आहे की, This notional inclusion of the annual increment would be considered for re-calculating their pension, gratuity, earned leave, commutation of pension benefits etc. तरी त्याप्रमाणे अर्जदारास लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावे.

मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त निर्णयाचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२८१६१३३५८९०५ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(वि. अ. धोत्रे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

राज्यपालांचे सचिव मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव	निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

<p>उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य मंत्रालयीन सर्व विभाग सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव मंत्रालय, मुंबई सचिव, मा.सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई सचिव, मा.अध्यक्ष, विधान सभा, विधानमंडळ, मुंबई मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई आयुक्त राज्य माहिती आयोग, (सर्व) सचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/ औरंगाबाद. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे सर्व विभागीय आयुक्त. सर्व जिल्हाधिकारी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे-रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली, संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मुंबई,</p>	<p>लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद. संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०३२. बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई १ भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरक नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई २० भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई ४ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई १३ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई २५ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई २१ शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई २८ वित्त विभागातील सर्व कार्यासने निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-३)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--

